

कार्यालय कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

॥ अनापत्ति प्रमाण पत्र ॥

क्रमांक / 3869 / कले. / वाचक / 2022

गरियाबंद, दिनांक 01.09.2022

असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा गरियाबंद जिले में 4^{जी} टेलीकाम सुविधाओं के विस्तार हेतु मुख्य मार्ग के समानांतर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित राजस्व/वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु अनुरोध किये गये है।

तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद, मैनपुर, छुरा के माध्यम से तहसीलदार गरियाबंद, मैनपुर, छुरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार आर्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित हो रहे भूमि का विवरण इसप्रकार है-

तहसील गरियाबंद				
क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	व्यपवर्तित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल	मद
01.	लोहारी	69	0.004 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		64/1 का भाग	0.01 हेक्टेयर	
		64/1 का भाग	0.002 हेक्टेयर	
		64/1 का भाग	0.004 हेक्टेयर	
		188	0.005 हेक्टेयर	
02.	कोदोपाली	87	0.016 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
03.	दांतबायकला	5	0.013 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		123	0.004 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
04.	गोडलबाय	159	0.03 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		130	0.006 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		127	0.006 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		84	0.007 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		90	0.009 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		95	0.005 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		97	0.005 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
				बड़े झाड़ का जंगल
05.	कामरभौंदी	51	0.001 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		72	0.008 हेक्टेयर	
06.	पीपरछेड़ीकला	58	0.008 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
07.	मौहाभाठा	328	0.01 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
08.	मालगांव	986	0.003 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		987	0.001 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
09.	मजरकट्टा	1110/1	0.008 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
तहसील मैनपुर				
10.	बरदुला	7/1 का भाग	0.02 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
	बोईरगांव	182/1	0.026 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		212/1	0.019 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल

क्रमशः



तहसील छुरा				
12.	छुरा	409 का भाग	0.002 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
13.	पटपरपाली	2	0.008 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
14.	दादरगांव (पुराना)	304	0.031 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		313	0.003 हेक्टेयर	
		366 / 1	0.012 हेक्टेयर	
15.	रूवाड	279 / 1	0.012 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		300 / 1	0.003 हेक्टेयर	
		300 / 2	0.002 हेक्टेयर	
16.	दादरगांव (नया)	25	0.001 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		55	0.005 हेक्टेयर	
		135	0.005 हेक्टेयर	
17.	कनसिंधी	11	0.004 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
18.	सैंदबाहरा	47 का भाग	0.011 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
19.	जामली	91	0.002 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
20.	अमलोर	259	0.011 हेक्टेयर	बड़े झाड़ का जंगल
		286	0.004 हेक्टेयर	
		289	0.002 हेक्टेयर	
		290	0.004 हेक्टेयर	
		340	0.007 हेक्टेयर	

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भूमि बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है तथा संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसार तहसील गरियाबंद, छुरा व मैनपुर आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित है। इसलिए उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में यदि वन विभाग द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन/व्यपवर्तन हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है तथा आवेदक फर्म/संस्था द्वारा आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों में स्थित धार्मिक व सामाजिक विन्यास तथा किसी भी शासकीय व निजी परिसंपत्तियों को प्रभावित नहीं किया जाता है, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक फर्म/संस्था द्वारा निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

- 01/ भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन- आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु किया जावे। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
 - 02/ निर्धारित व्यपवर्तित स्थल पर ही खुदाई की जावे तथा खुदाई किये गये स्थलों को समतल करने की संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक फर्म/संस्था की होगी।
 - 03/ इस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा आवेदक फर्म/संस्था को राजस्व विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा तथा आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
 - 04/ आष्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति नहीं होगी व भूमि के ऊपर उच्च/निम्न दाब विद्युत लाइन या क्रासिंग लाइन होने की स्थिति में नियमानुसार शिफ्टिंग कराने की जिम्मेदारी आवेदक फर्म/संस्था की होगी।
- अन्य शर्तें जो शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित की जावेगी। उन शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



कलेक्टर
गरीयाबंद (छ.ग.)

क्रमशः

पृ० क्रमांक / 3869 / कले. / वाचक / 2022

गरियाबंद, दिनांक 01.09.2022

प्रतिलिपि-

- 01- आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 02- वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- 03- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद/मैनपुर/छुरा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- 04- तहसीलदार गरियाबंद/मैनपुर/छुरा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 05- असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कार्यवाही
गरियाबंद (छ.ग.)